परिशिष्ट - एक

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय)
नई दिल्ली

कार्यवृत्त

केन्द्रीय शोध अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक : 25-26.11.2014 के मद संख्या-03 के द्वारा गठित और तत्पश्चात् राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-रा.सं.सं.शोध.प्र./105/03/2014-2015/1277-1285, दिनांक : 10.02.2015 के द्वारा अधिसूचित शोधनियमावली निर्माण समिति की बैठक दिनांक : 28.02.2015 एवं 01.03.2015 को पूर्वाह्ण 11 बजे राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानितविश्वविद्यालय, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित विद्वान्/अधिकारी उपस्थित हुए।

1) प्रो. शशि प्रभा कुमार, (कुलपति) – अध्यक्ष
साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय,
भोपाल

2) प्रो. रमेश भारद्वाज, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, – सदस्य
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

3) प्रो. रमेशचन्द्र पण्डा – सदस्य
कुलपति
संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन

4) परीक्षा नियंत्रक (डॉ. गोपी रमण मिश्र) – सदस्य
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय)
नई दिल्ली

5) प्रभारी, योजनाएँ (प्रो. सर्वनारायण झा) – सदस्य /सचिव
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय)
नई दिल्ली

इसके अतिरिक्त श्री रामचन्द्र, सहायक निदेशक (शोध एवं प्रकाशन) बैठक में उपस्थित थे।

अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार, बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

समिति ने राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मा.वि.), नई दिल्ली की विद्यावारिधि (पीएच्.डी.) उपाधि हेतु शोध नियमावली निर्माण के विषय में साङ्गोपाङ्ग विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से निम्नलिखित रूप में शोध नियम बनाने की संस्तुति की।

1. राष्ट्रिय-संस्कृत संस्थान (मा.वि.) के शोधोपाधि का नाम विद्यावारिधि (पीएच्.डी.) होगा। (जैसा कि पूर्व से है)

2. विद्यावारिधि में प्रवेश संयुक्त विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा CVVET के आधार पर निम्नलिखित विषयों में होगा। (जैसा कि पूर्व से है)।

   विषय:- 1. साहित्य 2. प्राचीन व्याकरण, 3. नव्यव्याकरण 4. फलितज्योतिष, 5. सिद्धान्त ज्यौतिष, 6. न्यायवैशेषिक 7. नव्यन्याय 8. अद्वैतवेदान्त 9. विशिष्टाद्वैतवेदान्त 10. द्वैतवेदान्त, 11. आगम, 12. मीमांसा, 13. साङ्ख्ययोग, 14. सर्वदर्शन 15. बौद्धदर्शन 16. जैनदर्शन, 17. धर्मशास्त्र 18. पुराणेतिहास, 19. वेद, 20. शुक्लयजुर्वेद, 21. पौरोहित्य (कर्मकाण्ड), 22. द्वैताद्वैतवेदान्त, 23. शिक्षाशास्त्र, 24. काश्मीरशैवदर्शन, 25. वास्तुशास्त्र।

   प्रति परिसर प्रति विभाग रिक्तियों की संख्या सम्बद्ध परिसर के प्राचार्य द्वारा प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक कुलसचिव राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2015 के लिए यह तिथि 20 अप्रैल 2015 मानी जायगी। परिसर द्वारा उक्त तिथि तक सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर रिक्ति की संख्या शून्य अंकित की जायगी। शोध एवं प्रकाशन विभाग का यह दायित्व होगा कि विभाग में प्राप्त परिसरों से सूचना प्रति वर्ष 15 जनवरी तक परीक्षा नियंत्रक, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को लिखित रूप में उपलब्ध करायगा। वर्ष 2015 के लिए यह तिथि 30 अप्रैल 2015 होगी।

3. CVVET के लिए विज्ञापन में प्रति परिसर एवं प्रति विभाग सीट रिक्ति की संख्या का उल्लेख अनिवार्य होगा।

   CVVET में आवेदन के लिए सम्बद्ध स्नातकोत्तर परीक्षा में 55 प्रतिशत अङ्क अनिवार्य होगा, अनु. जाति/जन जाति और विकलांग के लिए 5 प्रतिशत की छूट दी जायगी।

4. इस परीक्षा के लिए ऐसे विद्यार्थी भी योग्य माने जायेंगे जिन्होंने स्नातकोत्तर परीक्षा दी हो किन्तु परिणाम घोषित न हुआ हो। ऐसे छात्रों को पञ्जीकरण के पूर्व, निर्धारित योग्यता के अनुरूप अंकपत्र (आवश्यक प्रतिशत के साथ) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्नातकोत्तर परीक्षा में सम्मिलित केवल वही छात्र CVVET परीक्षा देने के लिए अर्ह होंगे जिन्हें स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक हो।

5. वे सभी विदेशी विद्यार्थी जिन्होंने भारत के बाहर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत की किसी शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ अथवा उसके समान श्रेणी में अर्जित की हो, भारत-सरकार के विदेश-विभाग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से शोध-छात्र के रूप में प्रवेश के लिये आवेदन कर सकते हैं।

6. भारत शासन के नियमानुसार आरक्षण (अनु. जाति 15 प्रतिशत, अनु. जनजाति 7.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत) नीति लागू करने की अनुशंसा की गयी। अन्य पिछड़ी जाति के क्रीमीलेयर (उच्च आर्थिक स्तर) में न आने वाले शोधछात्रों को ही आरक्षण का लाभ देने तथा आरक्षित वर्ग की सीट सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरी जाने की भी संस्तुति की गई।

7. CVVET के परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे जिनका विवरण निम्नलिखित है–

प्रथम पत्र इस प्रश्न पत्र में विद्यार्थी द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अधीत शास्त्र का सम्यक् ज्ञान अपेक्षित है। अन्त:शास्त्रीयविषयतालिका के अनुसार छात्र 'स्वरुचि का एक विषय' चुनकर उत्तर दे सकता है। कई विषय-वर्गों से उत्तर दिया जाना स्वीकार्य नहीं होगा। विषय की तालिका निम्नलिखित है।

तालिका :

विषय	अन्तः शास्त्रीय विषय
वेदान्त / द्वैताद्वैत	सांख्ययोग, न्याय वैशेषिक, पुराणेतिहास, मीमांसा, आगम, बौद्धदर्शन, जैन दर्शन, सर्वदर्शन, संस्कृत (दर्शनवर्ग), तन्त्र–योग रामानन्दवेदान्त, विशिष्टाद्वैतवेदान्त, द्वैताद्वैत।
सांख्यपयोग	वेदान्त, न्यायवैशेषिक, पुराणेतिहास, बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, आगम, आयुर्वेद, संस्कृत (दर्शन वर्ग), तन्त्र–योग, द्वैताद्वैत।
न्याय– वैशेषिक	वेदान्त, सांख्ययोग, बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, संस्कृत (दर्शन वर्ग), दर्शन शास्त्र से एम.ए. (बी.ए. स्तर तक संस्कृत के साथ), तंत्र–योग सर्वदर्शन, द्वैताद्वैत।
पुराणेतिहास	वेदान्त, सांख्ययोग, वेद, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, आगम, तन्त्रयोग, सर्वदर्शन, साहित्य। संस्कृत (साहित्य)
व्याकरण	वेद, साहित्य, सांख्ययोग, पुराणेतिहास, भाषाविज्ञान (शास्त्री स्तर तक संस्कृत के साथ), संस्कृत (व्याकरणवर्ग), तुलनात्मक–भाषा–विज्ञान।
ज्योतिष	वेदांग, सिद्धान्तज्योतिष, फलित–ज्योतिष, संहिता, पुराणेतिहास, धर्मशास्त्र, कृषि–विज्ञान, मौसमविज्ञान, खगोलशास्त्र, कर्मकाण्ड, पौरोहित्य, धर्मागम, सर्वदर्शन।
धर्मशास्त्र	मीमांसा, वेद, ज्योतिष, कर्मकाण्ड, पौरोहित्य, पुराणेतिहास संस्कृति, तुलनात्मक विधिशास्त्र, भारतीय–विधिशास्त्र, आधुनिक–भारतीय–कानून, धर्मागम।
शिक्षाशास्त्र	व्याकरण,न्याय, साहित्य, धर्मशास्त्र, वेद, पौरोहित्य, वेदान्त, ज्योतिष, कर्मकाण्ड आदि परम्परागत विषय, एम.ए. (संस्कृत) इसके साथ शिक्षाचार्य / एम.एड्, एम.ए. (शिक्षा), एम.फिल्– (शिक्षा), मनोविज्ञान सामाजशास्त्र / दर्शनशास्त्र में एम.ए.।
मीमांसा	धर्मशास्त्र, वेद, वेदान्त, आगम, संस्कृत(दर्शन वर्ग), दर्शन, (शास्त्री स्तर तक संस्कृत), तन्त्रयोग, सांख्ययोग, धर्मागम, सर्वदर्शन।
बौद्धदर्शन	पालि, प्राकृत, संस्कृत (दर्शन वर्ग), प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति (शास्त्री स्तर तक संस्कृत के साथ), जैन दर्शन, शैवदर्शन, सांख्ययोग, योगागम, तन्त्रयोग, जैनतन्त्र बौद्धतन्त्र, सर्वदर्शन वास्तु।
जैन दर्शन	प्राकृत, पालि, संस्कृत, बौद्धदर्शन, सांख्य–योग, स्थापत्य एवं कला, भारतीय प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति (शास्त्री स्तर तक संस्कृत के साथ), जैनतन्त्र, बौद्धतन्त्र, सर्वदर्शन।
साहित्य	व्याकरण, पुराणेतिहास, तन्त्रागम, संस्कृति, दर्शन, पालि, प्राकृत (स्नातक स्तर तक संस्कृत के साथ, एम.ए. संस्कृत (साहित्य वर्ग)।
वेद / कर्मकाण्ड	व्याकरण, वेदान्त, आगम, तन्त्रागम, योगतन्त्र, धर्मशास्त्र, मीमांसा, पौरोहित्य, पुराणेतिहास, सांख्ययोग, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, (शास्त्री स्तर तक संस्कृत के साथ), पुरातत्त्व, (स्नातक स्तर तक संस्कृत के साथ), अभिलेख शास्त्र (स्नातक स्तर तक संस्कृत के साथ), आयुर्वेद, ज्योतिष, सर्वदर्शन, वास्तु।

,प्रथम प्रश्नपत्र की संरचना अधोलिखित है–

क. स्वशास्त्रीय/अन्त: शास्त्रीय विषय – 50 अङ्क

ख. संस्कृत से हिन्दी में या अंग्रेजी में अनुवाद – 25 अङ्क

ग. अंग्रेजी/हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद – 25 अङ्क

कुल योग = 100 अङ्क

द्वितीय पत्र

इसमें निम्नलिखित विषयों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे –

खण्ड-'क'

1.	सामान्य ज्ञान (भारत, भारतीय समाज एवं संस्कृति)	06 अङ्क
2.	संस्कृत भाषा का क्रमिक विकास (भिन्न-भिन्न शास्त्रों एवं कालों में)	06 अङ्क
3.	विविध धर्म एवं दर्शन (भारत में प्रचलित/उद्भूत)	06 अङ्क
4.	सर्वशास्त्रों के मूलाधार (मूलसिद्धान्तमात्र का ज्ञान)	06 अङ्क
5.	पाण्डुलिपि विज्ञान/शोध प्रविधि का सामान्य परिचय	06 अङ्क

कुल = 30 अङ्क

खण्ड-'ख'

(सन्धि, समास, कारक, वाच्य, सुबन्त, तिङन्त, कृदन्त, तद्धित का सामान्य ज्ञान) **कुल = 25 अङ्क**

खण्ड-'ग' निम्नलिखित विषयों का सामान्य ज्ञान

वेद	04 अङ्क
छन्द	04 अङ्क
ज्योतिष	04 अङ्क
पुराणेतिहास	04 अङ्क
अलङ्कारशास्त्र	04 अङ्क

कुल = 20 अङ्क

खण्ड-'घ'

संस्कृतसाहित्य का सामान्य परिचय **कुल = 25 अङ्क**

कुल योग = 100 अङ्क

8. NET/JRF/M.Phil. उत्तीर्ण छात्रों को भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। प्रथम प्रश्न पत्र के तीनों खण्डों – क, ख एवं ग में उत्तीर्णता का न्यूनतम प्रतिशत पृथक्-पृथक् 50 प्रतिशत अङ्क होगा।

9. दोनों प्रश्नपत्रों में उत्तीर्णता का प्रतिशत पृथक्-पृथक् 50 प्रतिशत अङ्क होगा। CVVET में प्राप्ताङ्कों के अनुसार निर्मित वरीयता सूची के आधार पर परिसर में उपलब्ध सीटों के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा। वरीयता सूची का निर्माण विषयानुसार होगा।

10. CVVET के लिए प्राश्निक एवं परीक्षक प्रोफेसर या प्रोफेसर स्तर के प्राचार्य होंगे।

11. CVVET उत्तीर्ण करने के पश्चात् सभी छात्रों के लिए षाण्मासिक पूर्व विद्यावारिधि पाठ्यक्रम का अध्ययन नियमित रूप से 75 प्रतिशत प्रतिमास उपस्थिति के साथ करना अनिवार्य होगा। षाण्मासिक पाठ्यक्रम में 100-100 अंकों के तीन पत्र होंगे। उक्त पाठ्यक्रम की परीक्षा की उत्तीर्णता के लिए प्रति पत्र 50 प्रतिशत अङ्क प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पाठ्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है :

पाठ्यक्रम का विवरण –

VIDYAVARIDHI SEMESTER COURSE

प्रथमं पत्रम्/Paper-I (Part-a)
अनुसन्धानपद्धतिः/Research Methodology

Max. marks – 50

Unit-I अनुसन्धानस्य स्वरूपं सीमा च

1. अनुसन्धानशब्दस्य निर्वचनम्।
2. समालोचनम्, परिशीलनम्, अध्ययनम् इत्यादि पदानां Research पदेन सम्बन्धविवेचनम्।
3. आधुनिकविदुषां मतेन कोशानामाधारेण प्रयोगपरिशीलनेन च अनुसन्धानपदस्य कानिचन निर्वचनानि।

संस्कृतवाङ्मये अनुसन्धानस्य सीमा

1. वैदिकलौकिकदर्शनवाङ्मयम्
2. ग्रन्थानां समीक्षात्मकमध्ययनम्
3. मातृकासम्पादनम्, पाठसमीक्षात्मकमध्ययनञ्च (महाभारतस्य समालोचनात्मकसंस्करणान्याश्रित्य)
4. संस्कृतविदुषां व्यक्तित्वम्
5. अनुसन्धानस्य नूतनक्षेत्राणि

Unit-II अनुसन्धानस्य प्रकाराः विषयचयनम् संक्षिप्तिका च

1. विमर्शात्मकमध्ययनम् (Critical Study)
2. विश्लेषणात्मकमध्ययनम् (Analytical Study)
3. तुलनात्मकमध्ययनम् (Comparative Study)
4. अन्तःशास्त्रीयमध्ययनम्(Inter-disciplinary Study)
5. विशिष्टमध्ययनम् (Special Study)
6. सर्वेक्षणम् (Survey of Research)
7. मातृकासम्पादनम्
8. स्वतन्त्रशोधविषयः

अनुसन्धानविषयचयने मूलसिद्धान्ताः

1. अभिरुचिः 2. योग्यता 3. विषयप्राधान्यम् 4. सामग्रीसमुपलब्धिः

संक्षिप्तकायां शीर्षकनिर्माणे अवधेयांशाः

1. स्पष्टत्वम् 2. अनुसन्धेयत्वम् 3. शोधप्रबन्धरूपरेखा

4. विमर्शात्मकशोधप्रबन्धस्य, मातृकाधारितशोधप्रबन्धस्य च प्रस्तावे मूलबिन्दवः।

Unit-III सामग्रीसङ्कलनम् तत्स्रोतांसि तत्पद्धतयश्च

1. प्राथमिकस्रोतांसि - मूलग्रन्थाः, व्याख्याः, पुरातत्त्वाधारः, शिलाशासनानि, शासकीयानि, अभिलेखनानि च।
2. आनुषङ्गिकस्रोतांसि - साहित्येतिहासः, ग्रन्थसूची, शोधपत्रिकाः, कोशाः, लेखनानि च।
3. आधुनिकोपकरणानि - अन्तर्जालम्, जालस्थानानि, ई-शोधपत्रिकाः, ई-कोशाः।
4. विषयविशेषज्ञैः सह सम्पर्कः - मौखिकस्रोतांसि, व्याख्यानानि च।
5. ग्रन्थालयः, ग्रन्थालयप्राप्यप्रयोजनानि, सामग्र्यन्वेषणप्रकारश्च।

सामग्रीसङ्कलनपद्धतयः

6. प्रश्नावलिपद्धतिः, साक्षात्कारपद्धतिः, सूचीनिर्माणपद्धतिः इत्यादयः।

Unit-IV शोधप्रबन्धनिर्माणम्, मूलसिद्धान्ताः शोधप्रबन्धप्रस्तुतिश्च

अ. शोधप्रबन्धस्वरूपम्, उद्देश्यम्, निर्माणक्रमः, भाषा, लेखनरीतिः।

आ. शोधप्रबन्धनिर्माणम्, तत्प्रतिवेदनम्, अन्तिमशोधसंक्षिप्तिकानिर्माणं च।

इ. शोधप्रबन्धे - श्लोकसूची, पदसूची अनुशीलितग्रन्थसूची एवमादि।

ई. कार्यावसरे ग्रन्थसूचीनिर्माणम् (Working Bibliography)

उ. टिप्पणीनिर्माणक्रमः।

ऊ. शोधप्रबन्धरूपरेखानुगमः।

ऋ. उद्धरणनियमाः।

REFERENCE BOOKS

1. आचार्य सत्यनारायण, संस्कृतशोधप्रविधिः, पुरी, 2005।
2. डॉ. नगेन्द्र, अनुसन्धानस्य प्रविधिप्रक्रिया, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली।
3. त्रिपाठी, भागीरथप्रसादः, अनुसन्धानपद्धतिः, सम्पूर्णानन्दग्रन्थमाला, 8, वाराणसी, 1969।
4. त्रिपाठी, रुद्रदेव अन्वेषणाविशेषाङ्कः, लालबहादुरशास्त्रीकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली, 1976।
5. डॉ. कृष्णलाल, संस्कृत शोध - वैदिक अध्ययन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
1. Anderson, Jonathan, Druston & Poole, Thesis and Assignment Writing, Wiley Eastern Ltd., New Delhi, 2002.
2. Dash, K.C., Elements of Research Methodology in Sanskrit, Chowkhamba Orientalia, Delhi, 1992.
3. Murthy M. Srimannarayana, Methodology in Indological Research, Bhartiya Vidya Prakashan, Varanasi, 1991.

4. Paul Oliver, Writing your Thesis : Vistaar Publications, New Delhi. 2005.
5. Watson George, The Literary Thesis : A Guide to Research, Oxford University Press, London, 1998.
6. Dawson Catherine, Practical Research Methodology, UBS Publication Distributors, New Delhi, 2002.
7. Kothari C.R., Research Methodology Methods and Technigues, Weley Co. Ltd., New Delhi, 1985.
8. Kumar Ranjit, Research Methodology. A step by step Guide for beginners (2nd edn.) Person education, singar, 2005.

VIDYAVARIDHI SEMESTER COURSE

प्रथमं पत्रम्/Paper-I (Part-a)

अनुसन्धानपद्धतिः/Research Methodology (Educational Research)

(For Education students)

Max. marks – 50

Educational Research Methodoloty

I. Educational Research
   1. Meaning scope of Educational research
   2. Classification of Educational research
   3. a) Fundamental b) Applied c) Action research

II. Research in Education : Need and Methods

III. Survey of Educational research with special reference to Sanskrit pedagogy.

IV. Research Process
Selection of Topic (Problem) Criterion

V. Collection of Data and topics of research.

VI. Analysis and interpretation of data.
   1) Data from primary and secondary source, description of historical research
   2) Sampling Procedure. Administration of Tools

VII. Writing research report
   1. Structure 2. Format 3. Footnotes
   4. Citing of reference works as per standard method

VIII. Evaluation of research report.

REFERENCE BOOKS

* As per M.ED course syllabus

Computer Application for Sanskrit Research servay and review of published research.

VIDYAVARIDHISEMESTER COURSE WORK

प्रथमं पत्रम्/Paper-I (Part-b)

हस्तलेखशास्त्रम्/Manuscriptology

(Common for all including Education students)

Max. marks – 50

Unit-I मातृका - लेखन - लेखनोपयुक्तानि वस्तूनि

1. मातृकाः - मातृकाणां वैविध्यम् - तालपत्रम् - तल्लक्षणम् - श्रीतालपत्रम् - खरतालपत्रम् - तालपत्रस्य लेखनोपयोगित्वम् - तालपत्रस्य प्राचीनता - तालपत्रे लिखिताः अत्यन्तप्राचीनग्रन्थाः - प्रसिद्धमातृकाग्रन्थालयेषु विद्यमानाः विशिष्टतालपत्रमातृकाः - प्रसिद्धसंस्कृतकाव्येषु तालपत्रस्योल्लेखः।
2. भूर्जपत्रम् - संविधानम् - प्राचीनता - विशिष्टभूर्जपत्रमातृकाः - प्रसिद्धसंस्कृतकाव्येषु भूर्जपत्रस्य उल्लेखः।
3. कागजपत्राणि - कागजपत्रस्य प्राचीनत्वम्, लोहपत्राणि, काष्ठफलकम्, शिलाफलकम् इत्यादीनि।

Unit-II मातृकासु लेखनविधिः, लेखकश्च

1. मातृकाः - तासां स्वरूपं तथा आकृतिश्च (Form & size)
2. Pagination – Punctuation – Abbrevation (सङ्केताक्षराणि) – colophon (पुष्पिका) etc.
3. लेखकः - लेखकस्य लक्षणानि - प्रसिद्धग्रन्थेषु प्रयुक्तानि लेखकलक्षणानि - प्राचीने आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये च लेखकस्य उल्लेखः - तद्विषयकप्रमाणानि - लेखकस्य विषये प्रसिद्धाः प्राचीनश्लोकाः - लेखनोपकरणानि।

Unit-III लिप्यभ्यासः

लिपीनाम् अभ्यासः - ब्राह्मी, शारदा, प्राचीनदेवनागरीलिपिः, नेवारीलिपिः (ब्राह्मीशारदा-लिप्योः अभ्यासः अनिवार्यः) - ग्रन्थः, नन्दिनागरी, तिगलारी (ग्रन्थ-नन्दिनागरीलिप्योः अभ्यासः अनिवार्यः)

लिप्यन्तरीकरणम्

लिप्यन्तरीकरणं (Transliteration) देवनगरीतः रोमन् लिप्यां, रोमन् लिपितः देवनागर्याम्।

Unit-IV ग्रन्थसूची, मातृकागाराणि, राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन्, पत्रिकाश्च

1. सूचीनिर्माणेतिहासः, तत्र नानाविदुषां योगदानम्।
2. पत्रात्मकसूची Card Catalogue
3. विवरणात्मकग्रन्थसूची Descriptive Catalogue
4. ग्रन्थसूचीनां सूची Catalogus Catalogorum (CC)
5. नवीना ग्रन्थसूचीनां सूची New Catalogus Catalogorum (NCC)
6. विविधमातृकागाराणां ग्रन्थसूचयः मातृकागाराणि च
7. राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन्, उद्देश्यं कार्यप्रणाली च
8. मातृकासम्बद्धाः (मातृकासङ्ग्रहालयेभ्यः अन्यतश्च प्रकाश्याः) पत्रिकाः

Unit-V विशिष्टाः हस्तप्रतिकृतयः तासां परिचयश्च

1. Bakshali Manuscripts (1881)
2. Bower Manuscripts
3. Gilgit Manuscripts
4. Godfrey Manuscripts
5. Horiuzi Manuscripts
6. भूर्जहस्तप्रतिः (Birch-bark Manuscript)
7. आदिपर्वण उपलब्धा प्राचीनतमा हस्तप्रतिकृतिः (The oldest extant manuscript of the Adiparva)
8. पैप्पलादहस्तप्रतिकृतिः

Unit-VI मातृकासङ्ग्रहणं संरक्षणञ्च

1. मातृकासङ्ग्रहणस्येतिहासः, तत्र विदुषां संस्थानानां च योगदानम्।

2. मातृकासंरक्षणम् - संरक्षणस्य आवश्यकता - मातृकाविनाशने कारणानि 7 वातावरणस्थितिः - परिसरप्रभावः - कृमिकीटादयः - संरक्षणोपायाः - Fumigation - मातृकायाः सुस्थीकरणम् - (Repair of Manuscripts) तैललेपनम् - इत्यादीनि - मातृकासंरक्षणे प्रसिद्धाः प्राचीनश्लोकाः।

3. मातृकासङ्ग्रहणम् - भारते विद्यमानाः प्रसिद्धमातृकाग्रन्थालयाः, विदेशे विद्यमानः मातृकाग्रन्थालयाः - तथा तेषाम् अध्ययनम्।

Unit-VII समीक्षाग्रन्थसम्पादकानां मातृकासङ्ग्रहीतृणां व्यक्तिवृत्तम्

1.	डॉ. श्यामा शास्त्री	2.	डॉ. वि. राघवन्	3.	मानवल्लि रामकृष्णकवि
4.	टि. गणपतिशास्त्री	5.	डॉ. के. कृष्णमूर्ति	6.	डॉ. के.वि. शर्मा
7.	डॉ. रेवाप्रसाद द्विवेदी	8.	प्रो. अफ्रेच्	9.	डॉ. कुञ्जुण्णि राजा

आदर्शग्रन्थसूची

1. ओझा, गौरी शंकर हीराचन्द्र, प्राचीनभारतीय लिपिमाला मुंशीराम मनोहर लाल, 1993
2. तिक्कू श्रीनाथ, शारदालिपिदीपिका, नई दिल्ली, 1983
3. पुण्यविजय मुनि, भारतीय जैन श्रमण संस्कृति अने लेखन कला, अहमदाबाद, 1936
4. भट्ट, ल.न., भारतीयग्रन्थसम्पादनशास्त्रप्रवेशिनी, राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपति, 2002
5. मूले, गुणाकर, भारतीय लिपियों की कहानी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004
6. राही, ईश्वरचन्द्र, लेखनकला का इतिहास (2 खंड), लखनऊ, 1983
7. शर्मा रामगोपाल, पाण्डुलिपि सम्पादन कला, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 1979
8. सत्येन्द्र, पाण्डुलिपि विज्ञान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकाडमी, जयपुर, 1989
9. सरकार, दिनेशचन्द्र, भारतीय पुरालिपि विद्या, दिल्ली, 1996
10. Basu, Ratna et al Aspects of Manuscriptology. The Asiatic Society Kolkata, 2005
11. Bharathi H.L.N., An Introduction to Indian Textual Criticisim and Modern Book Publishing cIIL. Mysore 1988
12. Basham A.L. wonder that was India, London 1954
13. Buhler, G. Indian Palaeogeraphy, Munshiram Manohar Lal, New Delhi, 2004
14. Martin, H.J. On the Origin of Writing, London, 1912
15. Murthy, Shivaganesha R.S. Introduction Manuscriptology, Sharada Publishing House. New Delhi, 1996
16. Pandurangi K.T. Wealth of Sanskrit Manuscripts in India & Abroad. Bangalore, 1963
17. Preventive Conservation of Manuscripts, Proceedings of a workshop held in September, 2004. Govt. Museum, Chennai and NMM, New Delhi, 2005
18. Raghavan V. Manuscripts, Catalogures & Editions, Bangalore, 1963
19. Sah Anupam, Save Palm Leaf Manuscript Heritage, INTACH, Lucknow, 2001
20. Sastri Shama R. The Origin of Devanagari Alphabet, Bharat Prakasan, Delhi, 1973
21. Thaker, P. Jayant, Manuscriptology and Text Criticism, Oriental Institute Baroda, 2002
22. Mahabharata, Critical edition (Adiparva, vol.-I) BORI, Poona, 1936, edited by V.S. Sukhthankara.
23. Ramayana, Critical edition (Balakanda), edited by Bhatta, Baroda.

Latest Books

शोधप्रविधि एवं पाण्डुलिपिविज्ञान, अभिराजराजेन्द्रमिश्र, अक्षयवट् प्रकाशन, इलाहाबाद।

साहित्यानुसन्धानावबोधप्रविधिः, प्रो. रहसविहारी द्विवेदी।

पत्रिका

1. कृतिरक्षण, राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन्, नई दिल्ली (त्रैमासिक पत्रिका) - www.namami.nic.in

VIDYAVARIDHI SEMESTER COURSE
द्वितीयं पत्रम्/Paper – II (Part-a)
पाठसमालोचनम् / Textual Criticism
(Only for Shastra Students)

Max marks – 50

Unit – I पाठसमालोचनम्

1. किं नाम पाठसमालोचनम्? पाठवैविध्यम्, पाठपरम्परा च। प्राचीनभारते पाठसमालोचनं विदितमासीत् इति निरूपणम्।
2. पाठसमालोचनायाः मूलसिद्धान्ताः- उच्चतरपाठसमालोचनम्-अवरपाठसमालोचनम्-पाछ संतोलनम्-मातृकावंशावलिनिर्माणम्।
3. ह्यूरिस्टिक्स्-मातृकासु अन्तस्सम्बन्धः-पाठप्रामाण्यविवेचनम्
4. पाठसमीक्षोपकरणानि-पाठसङ्कलनपत्रे सम्यक् पाठविनिर्णयसिद्धान्ताः च।
5. वेद-पुराण-आगम-इतिहास-व्याकरण-काव्यशास्त्र-काव्य-ग्रन्थानां पाठसमालोचनसिद्धान्ताः

Unit – II पाठसम्पादनम्

1. लिप्यन्तरणक्रमः [Transcription], पाठसङ्कलनम् [Collation], पाठसङ्कलनक्रमः
2. समीक्षात्मकपाठसम्पादने दिग्दर्शिसिद्धान्तः
3. लेखकदोषा दोषसंशोधनञ्च
4. एकलमातृकया पाठसम्पादनम्, वर्णनात्मकमातृकाणां सम्पादनम्
5. बह्वीभिः मातृकाभिः पाठसम्पादनम्
6. पाठानां पुनर्व्यवस्थापनम् पाठपुनर्व्यवस्थापने व्याकरणस्य छन्दश्शास्त्रस्य च भूमिका
7. दोषसंशोधनम्- कल्पितपाठात् व्याख्येयपाठस्य वरीयस्त्वम्

Unit – III पारिभाषिकपदानि, समीक्षात्कमसंस्करणं च

1. समीक्षात्कमसंस्करणेषु उपयुज्यमानाः पारिभाषिकशब्दाः- Ur-text, Colopholn; Marginalia, Siglum: Stemma Codicum, Archetype; Exemplar. Codex, Copy, Bi-lingual codices: Variant readings; Revisions; Critical Recensions; Dittography, Haplography etc. (See S.M. Katre's Book, Indian Textual Criticism for a full list) and Sutra. Karika, Bhashya. Tika. Panchika, Nibandha Vyakhya. Vritti. Choorni, Avachoorni, Avachoori.

2. पाठान्तराणां निर्देशे पद्धतिः (प्रकाशितसंस्करणेषु)
3. विविधसूचीनां निर्माणम्
4. प्रकाशितसमीक्षात्मकसंस्करणानां मूल्याङ्कनम्

Unit – IV समीक्षात्मकसंस्करणसिद्धान्ताः

1. महाभारतस्य आदिपर्वणः भूमिका (प्रोलेगोमेना)
2. रामायणबालकाण्डस्य भूमिका (बरोडा संस्करणम्)

Unit – V पाठसमालोचनं ग्रन्थसम्पादनञ्च

1. पाठसमालोचनस्य कानिचन मूलतत्त्वानि
2. पाठसमालोचनविषये सुक्तङ्कर्महाभागेन Prolegomena भागे सूचिताः मुख्याः सूचनाः
3. एड्गर्टन (Edgerton) महाभागेन Panchatantra Reconstructed इति संज्ञके ग्रन्थे उक्ताः पाठान्तरसङ्कलनोपयुक्ताः काश्चन् सूचनाः।
4. मतृकाणां वंशावलीरचनाक्रमः- मूलमातृका-प्रधानमातृकानिर्णये हेतवः
5. मूलपाठनिर्णयः- प्रधानामातृकापाठात् भेदाः- तिरस्कृतपाठान्तर्गतलिपिकारदोषाः- उपपाठान्तराणि-समानापाठाः पाठान्तरणकारणानि च
6. ग्रन्थसम्पादनोपयुक्तानां कतिपयपारिभाषिकपदानां विवरणम् (Reference S.M. Katre)
7. सङ्कलितपाठव्यवस्थापनम् (Heuristics)
8. पाठपरिष्करणम् (Recensio)
9. पाठपरिष्करणे क्लेशाः
10. अवरसमालोचनम्, उच्चतरपाठसमालोचनञ्च
11. ग्रन्थसम्पादने काश्चन प्रायोगिकसूचनाः

Unit – VI हस्तप्रतिकृतिपरम्परागतपाठे दोषकारणानि दोषसंशोधनञ्च

1. चाक्षुषदोषाः- अक्षरलोपः- अक्षरभ्रान्तिः- स्वरचिह्नानां लोपः (Omission of superscript or serifs) अक्षराणां स्थानव्यत्ययः- वर्णप्रक्षेपः:- पदभ्रान्तिः- सदृशाक्षरलोपः (Haplography) - पुनरावृत्तिः- अक्षराणां अथवा पदानां वा वियोजनं, योजनम्- प्रतिनिधिकरणम्- orthographic confusion - स्थानव्यत्ययः (Trans-Position)
2. पाठभ्रान्तयः तत्परिहारोपायाश्च
3. दोषसंशोधनम्

आदर्शग्रन्थसूची

1. भारतीयग्रन्थसम्पादनशास्त्रप्रवेशिनी, राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपति-2002

2. वृत्तरत्नाकरः, (सं नृसिंहदेवशास्त्री) मेहरचन्द लछमनदास् नई दिल्ली-1993
3. शर्मा रामगोपाल, पाण्डुलिपि सम्पादन कला, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली-1979
4. सत्येन्द्र, पाण्डुलिपि विज्ञान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकाडमी जयपुर 1989
5. Basu, Ratna et. al Aspects of Manuscriptology. The Asiatic Society Kolkata, 2005.
6. Bharathi H.L.N. An Introduction to Indian Textual Criticisim and Modern Book Publishing CIIL. Mysore, 1988.
7. Murthy, Shivaganesha R.S. Introduction Manuscriptology. Sharada Publishing House, New Delhi, 1996.
8. Thaker, P. Jayant, Manuscriptology and Text Criticism, Oriental Institute Baroda, 2002.

Reference for Book Publishing :

1. Rao M.N., The Book Publishing Manual, Allied Publishers, New Delhi, 1974.
2. Kaul H.K., Hand Book for Indian authors, Munshiram, New Delhi.
3. Williamson, Hugh. Methods of Book Design. (Second Edition), Oxford University Press, London
4. Butcher, Juditch, Copy Editing (Cambridge Handbook), Cambridge Univesity Press, 1983.

VIDYAVARIDHI SEMESTER COURSE

द्वितीयं पत्रम्/Paper – II (Part-A)

शास्त्रशिक्षणपद्धतिः / Methods of Teaching Shastras

(Only for Education Students)

Max marks – 50

Methods of Teaching Sastras

1. General survey of Ancient Inian Education system (including aastika and nastika viewpoint)
2. Curriculum, methods of teaching of different sastras.
   - i. Vedic studies and learning system.
   - ii. Upanishads and learning system.
   - iii. Darshanas and learning system.
   - iv. Vedangas (with special reference to Vyakarana) and learning system.
   - v. Sahitya and various learning components like Rara, Chandas, Sanghatana etc.
3. Application of modern educational methods in teaching sastras.
4. Application of modern educational technological aids in teaching sastras and sastra concepts.

REFERENCE BOOKS

As per latest accession made to Libraries on the Ancient Education System like 'Education in Ancient India' by A.S. Altekar.

VIDYAVARIDHI SEMESTER COURSE
द्वितीयं पत्रम्/Paper – II (Part-B)

(Common for all students as per his/her discipline and topic of research)

Max marks – 50

Survey and Review of Published Research/literature in Relevant field of Research.

Max. marks – 30

Computer Applications for Sanskrit Researchers.

Max. marks – 20

Computer Applications for Sanskrit Researchers

Paper – II

Unit – I Fundamental of Computers.

Fundamentals of Computers: Computer definition-Types of Computer-Logical organization of a Computer-Operating systems: Definition, function of an operating system-working with windows: Disktop, File Folder, My Computer, My documents, Recycle Bin, Internet Explorer-Windows Exploer-printer printing application.

Unit-II Text Editing

(a) Text editing in MS-office and Open office-Mangal Font/Unicode Fonts: MS Word: Creating and saving documents-Changing page layout – Formatting tex: ltalic, Bold, Underline-Headers and Footers-Tables.

(b) Power Point presentation in MS-office and Open office: Basics-Creating Presentations-Menus-Took Bar-Opening a presentation-Creating a new slide Deleting a slide-copying a slide-slide numbering.

(c) Page maker-creating pages-page formatting-Devnagari Fonts and application-Leap office package from C-DAC, Ileap fonts, Devnagari Key board, inscript key layout.

Unit-III Photoshop concepts

(a) Photoshop: Basics-Creating a new file, saving and closing files-working with images and colours: Editing images. Colour Modes, File Formats, Setting the current Foreground and Background colours, the colour Picker Palette. The Eye-dropper Tool, the Swatches Palette-Manuscript colour correction on digital copies.

Unit-IV Internet concepts and online Sanskrit Resources.

(a) History, Uses of internet, internal service providers-Internet access tools. World wide Web Browsers – Search Engines – Uniform Ressource Locator (URL) e-mails, Telnt, Usenet.

(b) Online Sanskrit dictionaries, software, software-pacakges. Sanskrit online resources, PDF text, e-books, e-journals.

All the above applications are taught on practical basis and internally assessed.

Reference Book

1. Peter, Norton, ***Introduction to Computers***, Sixth edition, Tata McGraw Hill, 2009.
2. Ron Manusfield, ***Working in Microsoft Office***, Tata McGraw Hill, 2008.
3. Raymond Green S: ***Fundamental of internet*** and www.Ellen Hepp Tata McGraw Hill edition, Delhi.
4. Comdex ***Desktop publishing course kit*** by Vikas Gupta, Dreamtech Press, New Delhi.

तृतीय पत्र

–(अ) शब्दरूपों का अभ्यास – **40 अंक**

शब्दरूप सूची

1. राम, 2. पाद्, 3. गोपा, 4. हरि, 5. सखि, 6. पति, 7. भूपति, 8. सुधी, 9. गुरु 10. स्वभू, 11. कर्तृ, 12. पितृ, 13. नृ, 14. गो, 15. पयोमुच्, 16. प्राञ्च्, 17. उदञ्च्, 18. वणिज्, 19. भूभृत्, 20. भगवत्, 21. धीमत्, 22. महत्, 23. भवत्, 24. पठत्, 25. यावत्, 26. बुध्, 27. आत्मन्., 28, राजन्, 29. श्वन्, 30, युवन्, 31. वृत्रहन्, 32. मघवन्, 33. करिन्, 34. पथिन्. 35. तादृश्, 36. विद्वस्, 37. पुंस्, 38. चन्द्रमस्, 39. श्रेयस्, 40.अनडुह्, 41.रमा, 42. मति, 43. नदी, 44. लक्ष्मी, 45. स्त्री, 46. श्री, 47. धेनु, 48. वधू, 49. स्वसृ, 50. मातृ, 51. नौ, 52. वाच्, 53. स्रज्, 54. सरित्, 55. समिध्, 56. अप्, 57. गिर्, 58. पुर्, 59. दिश्, 60. उपानह्, 61. गृह, 62. वारि, 63. दधि, 64. अक्षि, 65. अस्थि, 66. मधु, 67. कर्तृ, 68. जगत्, 69. नामन्, 70. शर्मन्, 71.ब्रह्मन्, 72. अहन्, 73. हविष्, 74. धनुष्, 75. पयस्, 76. मनस्, 77. सर्व, 78. विश्व, 79. पूर्व, 80. अन्य, 81. तत्, 82. यत्, 83. एतत्, 84. किम्, 85. युष्मद्, 86. अस्मद्, 87. इदम्, 88. अदस्, 89. एक, 90. द्वि, 91. त्रि, 92. चतुर्, 93. पञ्चन्, 94. षष्, 95. सप्तन्, 96. अष्टन्, 97. नवन्, 98. दशन्, 99. कति, 100. उभ।

(आ)धातुरूपों का अभ्यास – **40 अंक**

धातुरूप सूची

1. **भ्वादिगण–** 1. भू, 2. हस्, 3. पठ्, 4. रक्ष्, 5. वद्, 6. गम्, 7. दृश्, 8. पा, 9. स्था, 10. घ्रा, 11. सद्, 12. पच्, 13. नम्, 14. स्मृ, 15. जि, 16. श्रु, 17. कृष्, 18. वस्, 19. त्यज्, 20. सेव्, 21. लभ्, 22.वृध्, 23. मुद्, 24. सह्, 25. वृत्, 26. ईक्ष्, 27. नी, 28. हृ. 29. याच्, 30. वह्।
2. **अदादिगण–** 31. अद्, 32. अस्, 33. इ, 34. रुद्, 35. स्वप्, 36. दुह्, 37. लिह्, 38. हन्, 39. स्तु, 40. या, 41. पा, 42. शास्, 43.विद्, 44. आस्, 45. शी, 46. अधि+इ, 47. ब्रू।
3. **जुहोत्यादिगण–** 48. हु, 49. भी, 50. हा, 51. ह्री, 52. भृ, 53. भा, 54. दा, 55. धा।
4. **दिवादिगण–** 56. दिव्, 57. नृत्, 58. नश्, 59. भ्रम्, 60. श्रम्, 61. सिव्, 62. सो, 63. शो, 64. कुप्, 65. पद्, 66. युध्, 67. जन्।
5. **स्वादिगण–** 68. आप्, 69. शक्, 70. चि, 71. अश्, 72. सु।
6. **तुदादिगण–** 73. इष्, 74. प्रच्छ्, 75. लिख्, 76. स्पृश्, 77. क, 78. गृ, 79. क्षिप्, 80. मृ, 81. तुद्, 82. मुच्।
7. **रुधादिगण–** 83. छिद्, 84. भिद्, 85. हिंस्, 86. भञ्ज्, 87. रुध्, 88. भुज् 89. युज्।
8. **तनादिगण–** 90. तन्, 91. कृ।
9. **क्र्यादिगण–** 92. बन्ध्, 93. मन्थ्, 94. क्री, 95. ग्रह्, 96. ज्ञा।
10. **चुरादिगण–** 97. चुर्, 98. चिन्त्, 99. कथ्, 100. भक्ष्।

प्रत्ययों का अभ्यास **10 अंक**

प्रत्यय सूची

1. क्त 2. क्तवतु, 3. शतृ, 4. शानच् 5. तुमुन्, 6. तव्यत्, 7. तृच्, 8. क्त्वा, 9. ल्यप्, 10. ल्युट्, 11. अनीयर्, 12. घञ्, 13. ण्वुल्, 14. क्तिन्, 15. यत्।

सामान्यज्ञान सन्धि 5 अंक

समास 5 अंक

12. षाण्मासिक पूर्वविद्यावारिधि पाठ्यक्रम के समय शोध छात्रों को प्रतिपरिसर निर्धारित संख्या के अनुसार वरीयता क्रम से रु. आठ हजार मात्र प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका आधार **सम्बद्ध** स्नातकोत्तर परीक्षा का प्राप्ताङ्क होगा। यह छात्रवृत्ति परिसर के सभी शास्त्रीय विषयों में बराबर मात्रा में आवंटित की जायगी। शेष छात्रवृत्ति वर्णानुसार चक्र क्रम से अग्रिम वर्षो में आवंटित की जायगी। जैसे यदि 15 छात्रवृत्ति है और चार विभाग है तो प्रति विभाग तीन-तीन छात्रवृत्तियाँ दी जायगी और शेष तीन छात्रवृत्तियाँ रोटेसन से सभी विभागों में बाँटी जायगी। भले ही यह रोटेसन अग्रिम वर्ष में भी जाय।

13. षाण्मासिक पूर्वविद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रतिपत्र 50 प्रतिशत अङ्क प्राप्त करने पर ही शोधच्छात्र को उत्तीर्ण माना जायगा। षाण्मासिक पूर्वविद्यावारिधि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एक शोधपत्र संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. यदि कोई शोधच्छात्र उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे आगामी वर्ष की पूर्वविद्यावारिधि पाठ्यक्रम परीक्षा में एक बार पुनः बैठने का अवसर दिया जायगा। इस स्थिति में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसे छात्र को छात्रवृत्ति नहीं दी जायगी। दूसरी बार भी अनुत्तीर्ण होने पर पञ्जीयन स्वतः निरस्त माना जायगा।

15. षाण्मासिक पूर्वविद्यावारिधि परीक्षा हेतु प्राश्निक और परीक्षक प्रोफेसर या प्रोफेसर स्तर के प्राचार्य और कुलपति होंगे।

16. षाण्मासिक पूर्वविद्यावारिधि परीक्षा के पश्चात् अधिकतम 30 दिनों के अन्दर शोधप्रारूप स्थानीय शोध अध्ययन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उस पर निर्धारित अवधि में केन्द्रीय शोधअध्ययन मण्डल द्वारा विचार किया जायगा।

17. शोध प्रस्ताव का प्रारूप

निम्नलिखित विवरण के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा –

1. प्रस्तावना, 2. प्रयोजन, 3. औचित्य, 4. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 5. सर्वेक्षण 6. शोध प्रविधि, 7. प्राक्कल्पना

8. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

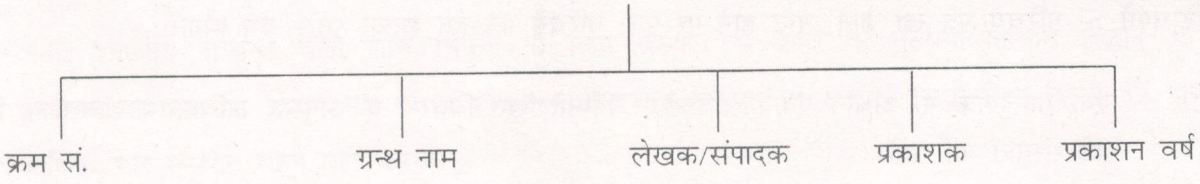

यदि शोध-विषय पाण्डुलिपि संपादन से सम्बद्ध हो तो पाण्डुलिपि की भाषा, लिपि, पत्र संख्या, अक्षर, पंक्ति, पूर्ण/अपूर्ण, त्रुटि, आकार, काल-निर्धारण, पाण्डुलिपि प्राप्ति, प्राप्ति के सम्भावित स्रोत आदि का उल्लेख आवश्यक है।

18. शोधप्रारूप प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उक्त शोधप्रारूपों को केन्द्रीय शोध अध्ययन मण्डल के लिए परिसर द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

19. शोधमार्गनिर्देशक बनने के लिए विद्यावारिधि/पीएच्.डी. उपाधि सहित न्यूनतम तीन वर्षों का नियमित सहायक आचार्य के रूप में अनुभव अनिवार्य होगा।

20. परिसर में प्रवेश स्वीकृत होने पर प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित शुल्क एवं सुरक्षित धनराशि (रूपये में) पूरी अवधि के लिए आरम्भ में ही जमा करनी होगी–

शुल्क विवरण	विद्यावारिधि (शोध)
1. प्रवेश आवेदन पत्र	100
2. प्रवेश	150
3. सुरक्षित धन पुस्तकालय	500
4. नामांकन	100
5. परिचय पत्र	50
6. पत्रिका (प्रतिवर्ष)	100
7. क्रीड़ा (प्रतिवर्ष)	100
8. छात्रकोष	500
9. विविध प्रवृत्ति/कलाकृति	200
10. परीक्षा शुल्क	500

टिप्पणी :- परिचय पत्र खो जाने, नष्ट होने पर पुनः परिचय पत्र हेतु शुल्क 50/- देय होगा।

21. एक मार्गदर्शक के अधीन एककालावच्छेदेन निम्नलिखित विवरण के अनुसार अधिकतम छात्रसंख्या निर्धारित करने की संस्तुति की गयी।

क्र.	पद	अधिकतम छात्र संख्या
क.	प्राचार्य/आचार्य	10
ख.	सहाचार्य	08

ग. सहायकाचार्य 06

22. पञ्जीयन तिथि से पाँच वर्ष या शोध प्रबन्ध समर्पण तिथि, जो भी पहले हो, तक मार्गदर्शक की सीट भरी हुई मानी जायगी। पूर्व में पञ्जीकृत शोध-छात्रों के लिए भी यह नियम लागू होगा।

23. CVVET उत्तीर्ण होने के बाद शोध छात्र का पाँच वर्षों के लिए पञ्जीयन किया जायगा। पञ्जीकरण की तिथि से कम से कम 24 माह (दो वर्ष) के बाद शोधकर्त्ता अपने शोध-प्रबन्ध को किसी भी समय परीक्षणार्थ प्रस्तुत कर सकता है। 5 वर्षो में शोधकार्य पूर्ण नहीं होने पर अत्यन्त अपरिहार्य स्थिति में 24 माह (दो वर्ष) के लिए निर्धारित शुल्क (रु. 1000/-) जमा कर पुनः पञ्जीकरण करा सकता है। इसके लिए स्थानीय शोधअध्ययन समिति द्वारा विलम्ब के कारणों के उल्लेख पूर्वक संस्तुति आवश्यक होगी।

24. पुनः पञ्जीयन की स्थिति में मार्गदर्शक की सीट सात वर्ष या शोध प्रबन्ध समर्पण तिथि, जो भी पहले हो तक भरी हुई मानी जाएगी।

25. षाणमासिक पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण कर प्रतिपत्र 50 प्रतिशत अङ्क प्राप्त करने के बाद यदि किसी शोधच्छात्र को शैक्षिक पदों पर नौकरी मिलती है तो उन्हें अपने नियोक्ता के द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर इस शर्त पर अंशकालिक रूप से विद्यावारिधि करने की अनुमति दी जा सकेगी। वे प्रति 06 माह में स्थानीय शोध अध्ययन समिति की बैठक में अपने शोधकार्य की प्रगति विवरण से उन्हें अवगत करावेंगें। यदि स्थानीय शोध अध्ययन समिति कार्य से असन्तुष्ट होता है या शोधच्छात्र स्थानीय शोध अध्ययन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो तत्काल प्रभाव से पञ्जीयन निरस्त माना जायगा। लेकिन शोधच्छात्र की गम्भीर अस्वस्थता की स्थिति में (चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति पर) मार्गदर्शक के द्वारा शोध कार्य की प्रगति शोध अध्ययन समिति के समक्ष उपस्थापित करने की छूट होगी।

26. विद्यावारिधि में पञ्जीयन और शोधप्रबन्ध समर्पण के मध्य किसी भी प्रकार के अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन/परीक्षा की अनुमति नहीं दी जायगी।

27. अन्तः शास्त्रीय सम्बन्ध वाले विषय में शोध कार्य करने के लिए दोनों सम्बद्ध विषयों के मार्गदर्शक होंगे और शोधप्रबन्ध समर्पण तिथि या पाँच वर्ष जो भी पहले हो, तक दोनों की सीट भरी हुई मानी जायगी।

28. अन्तः शास्त्रीय सम्बन्ध वाले शोध विषयों के लिए संस्थान से बाहर के तुल्ययोग्यताधारी विद्वान् भी अपने नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ सह-मार्गनिर्देशक नियुक्त हो सकेंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार का आर्थिक भार संस्थान वहन नहीं करेगा।

29. केन्द्रीय शोध अध्ययन मण्डल द्वारा शोध प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर केन्द्रीय शोध मण्डल की अग्रिम प्रथम बैठक में एक बार पुनः शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायगा फिर भी यदि शोध प्रस्ताव अस्वीकृत होता है तो पञ्जीयन स्वतः निरस्त माना जायगा।

30. सभी शोधच्छात्रों को सप्ताह में 05 घण्टे सम्बद्ध परिसर में अध्यापन करना अनिवार्य होगा।

31. प्रति वर्ष शोधकार्य से सम्बन्धित एक शोधपत्र संस्कृत भाषा में लिखना अनिवार्य होगा।

32. छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए अन्य योग्यताओं के साथ 75 प्रतिशत प्रतिमास उपस्थिति एवं उत्तम आचरण भी अनिवार्य होगा।

33. CVVET में आवेदन करते समय उल्लिखित परिसर में ही शोधकार्य करना होगा।

34. मार्गदर्शक के स्थानान्तरण होने पर परिसर परिवर्तन किया जा सकेगा। मार्गदर्शक के साथ शोधच्छात्र के स्थानान्तरण होने पर परिसर की वह छात्रवृत्ति भी शोधच्छात्र के साथ स्थानान्तरित मानी जायगी।

35. मार्गदर्शक के स्थानान्तरण होने पर छात्र यदि चाहे तो मार्गदर्शक की सहमति से उसी परिसर में सह-मार्गनिर्देशक बनाने के लिए निवेदन कर सकता है। मार्गदर्शक की सेवानिवृत्ति होने पर भी मार्ग दर्शक यदि चाहें तो वे मार्ग दर्शक बने रह सकते हैं। इसके लिए परिसर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं करेगा।

36. 18 महीनों तक शोधकार्य करने के बाद मार्गदर्शक-परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।

37. 18 महीनों से पूर्व भी मार्गनिर्देशक-परिवर्तन का अधिकार इस शर्त के साथ होगा कि मुक्त करने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों मार्गदर्शकों की अनापत्ति हो।

38. मार्गदर्शक का परिवर्तन स्थानीय शोध अध्ययन समिति की अनुशंसा पर केन्द्रीय शोध अध्ययन मण्डल द्वारा किया जा सकेगा।

39. शोधच्छात्रवृत्ति की स्वीकृति स्थानीय शोध अध्ययन समिति द्वारा मात्र 02 वर्षो के लिए की जायगी। प्रगति सन्तोषजनक होने की स्थिति में स्थानीय शोध अध्ययन समिति द्वारा 06-06 महीनों की अवधि वृद्धि की जायगी। छात्रवृत्ति की अधिकतम अवधि तीन वर्षों तक होगी, इसमें षाण्मासिक शोध-प्रविधि पाठ्यक्रम का समय भी गिना जायगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र प्रतिमाह 7 तारीख तक प्रगति विवरण मार्गदर्शक की अनुशंसा और स्थानीय विभागाध्यक्ष के अग्रसारण के साथ परिसर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। परिसर प्रतिमाह 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति का भुगतान किया करेगा।

शोधकार्य प्रगति का मानक एवं अवधि-

प्रथम षाण्मासिक- सत्रार्धपाठ्यक्रम, द्वितीय षाण्मासिक-25% कार्य, तृतीय षाण्मासिक-50% कार्य, चतुर्थ षाण्मासिक-75% कार्य, पंचम षाण्मासिक-100% कार्य, षष्ठ षाण्मासिक से अन्तिम षाण्मासिक तक टंकण एवं प्री सबमिशन आदि। प्रति छः महीने में स्थानीय शोध समिति की बैठक आहूत करना और शोध प्रगति की समीक्षा करना परिसर का दायित्व होगा। संस्थान मुख्यालय से इस कार्य के लिए पृथक् से किसी प्रकार की सूचना आदि निर्गत नहीं होगी। स्थानीय शोध अध्ययन समिति प्रति छः माह में

M 2882

नियमित/व्यक्तिगत/अंशकालिक/छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले/बिना छात्रवृत्ति के शोध कार्य करने वाले सभी के शोधकार्यो की समीक्षा करेगी और कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा करेगी।

40. सांयोगिक राशि की अवधि तीन वर्षों तक होगी। इसमें षाण्मासिक शोध-प्रविधि पाठ्यक्रम का समय भी गिना जायगा। सांयोगिक धनराशि छात्र द्वारा प्रस्तुत व्यय-विवरण के आधार पर प्रदान की जायेगी। शोधच्छात्र यह धनराशि पुस्तक-क्रय, शोध-सम्बन्धी यात्रा, लेखन तथा टंकण सम्बन्धी कार्यों में व्यय कर सकता है।

41. शोधार्थी को 8000.00 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति तथा 10,000.00 रुपये प्रति वर्ष सांयोगिक राशि दी जायेगी।

42. नियमित शोधच्छात्र की प्रत्येक माह में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। अध्यापक शोधार्थी के लिए उपस्थिति की अनिवार्यता मात्र षाण्मासिक पाठ्यक्रम के लिए होगी।

43. शोधछात्रों के लिए वर्ष में अधिकतम 30 दिनों का अवकाश मान्य होगा। साथ ही 60 दिनों का शैक्षिक अवकाश भी मान्य होगा। इनके अतिरिक्त अन्य अवकाश मान्य नही होंगे। महिलाओं के लिए उक्त अवकाश के अतिरिक्त 180 दिनों का प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण शोध अवधि में एक बार छात्रवृत्ति सहित मान्य होगा। उक्त अवधि में भी शोधप्रगति स्थानीय शोध समिति के समक्ष दिखानी होगी।

44. शोध अवधि में शोधकार्य के लिए शोधच्छात्र किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा पुस्तकालय अथवा संस्था में निर्देशक की संस्तुति तथा प्राचार्य की अनुमति से जा सकते हैं। संस्थान मुख्यालय के शोध छात्र निर्देशक की संस्तुति तथा शोध एवं प्रकाशन विभाग के प्रमुख की अनुमति से जा सकते हैं, इस अवधि की गणना भी शैक्षिक अवकाश में होगी। इस अवधि में उनकी उपस्थिति मानी जायेगी।

45. परिसर द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों, व्याख्यानमालाओं आदि में नियमित शोधच्छात्र की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

46. प्रत्येक शोधच्छात्र को अपनी शोध अवधि के प्रत्येक वर्ष में शोध-विषय से सम्बन्धित कम से कम दो शोधपत्र परिसर की शोधसंगोष्ठी में प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

47. शोधप्रबन्ध समर्पण से न्यूनतम 90 दिन पूर्व शोध प्रबन्ध समर्पण पूर्व प्रस्तुति परिसरीय समिति के समक्ष करनी होगी। परिसरीय समिति में मार्गदर्शक, सभी स्थानीय विभागाध्यक्ष, प्राचार्य और शोधच्छात्र सम्मिलित होंगे।

48. संस्थान में जिन विषयों में स्नातकोत्तर स्तर का अध्यापन होता है उन विषयों में और अन्तः शास्त्रीय सम्बद्ध विषयों में ही शोधोपाधि हेतु पञ्जीयन होगा।

49. शोध प्रबन्ध समर्पण से न्यूनतम 90 दिन पूर्व मार्गदर्शक, स्थानीय सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और प्राचार्य की समिति द्वारा सम्बद्ध विषयक 6 सहाचार्य/आचार्य या तत्समकक्ष पदधारी शिक्षकों का नाम कुलपति को प्रेषित किया जायगा जिनमें से कुलपति द्वारा किन्हीं तीन को परीक्षक नियुक्त किया जायगा।

50. संस्थान से शोध प्रबन्ध निर्गम तिथि से अधिकतम 60 दिनों के अन्दर शोधप्रबन्धपरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में परीक्षक की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायगी और परिसर से प्रेषित परीक्षकों के पैनल से कुलपति द्वारा अन्य परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।

51. तीन में से दो परीक्षकों की अनुकूल अनुशंसा पर मौखिक परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा।

52. मौखिक परीक्षा सम्बद्ध परिसर में आयोजित होगी। जिसमें मार्गदर्शक संयोजक होंगें और परिसर के प्राचार्य, उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ आचार्य और स्थानीय विभागाध्यक्ष उपस्थित रहेंगें। चूँकि मौखिकी सार्वजनिक है अतः छात्रों और अध्यापकों को भी मौखिकी परीक्षा के समय यथासंभव उपस्थित होने के लिए सूचना दी जायगी।

53. मार्गदर्शक की अनुपस्थिति में स्थानीय विभागाध्यक्ष संयोजक का कार्य करेंगें।

54. मौखिकी परीक्षा में असफल होने पर 06 महीने के अन्दर पुनः मौखिकी परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा। फिर भी असफल होने पर विद्यावारिधि शोधप्रबन्ध की समस्त प्रक्रिया निरस्त मानी जायगी।

55. छात्रवृत्ति में अन्य पिछड़ी जाति, अनु. जाति एवं जन जाति और विकलांगो को नियमानुसार आरक्षण की दृष्टि से प्रति परिसर 15 छात्रवृत्ति की वृद्धि की जा सकती है ताकि आरक्षण लागू किया जा सके। आचार्य/एम.ए. (संस्कृत) में प्राप्तांक के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जायगी।

56. छात्रवृत्ति का विभाजन तुल्यसंख्या में विभाग के अनुसार किया जायगा ताकि सभी विषयों/विभागों का संरक्षण हो सके।

57. शोध प्रबन्ध समर्पण के साथ शोधप्रबन्ध की डी.वी.डी. शोध प्रबन्ध के साथ प्रेषित करना अनिवार्य होगा जिसे संस्थान के वेबसाईट पर स्थापित किया जा सकेगा।

58. शोध प्रबन्ध समर्पण तिथि से अधिकतम 06 महीने के अन्दर परिणाम घोषित करना संस्थान की प्राथमिकता होगी।

59. षाण्मासिक पाठ्यक्रम में 100-100 अङ्कों के तीन पत्र होंगे जिनमें प्रतिपत्र 50-50 अङ्क प्राप्त होने पर ही उत्तीर्ण माना जाएगा।

60. शोध प्रबन्ध की भाषा संस्कृत होगी, जिसे केवल देवनागरी में लिपिबद्ध किया जा सकेगा।

61. शोध-छात्र शोधप्रबन्ध की टंकित/मुद्रित सुवाच्य सात प्रतियाँ मार्गनिर्देशक के पास प्रस्तुत करेगा, उन्हें मार्गनिर्देशक प्रमाणित कर प्राचार्य द्वारा अग्रसारित कराकर परिसर कार्यालय में जमा करेंगे। उनमें से चार प्रतियाँ राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के परीक्षा अथवा शोध-विभाग को मूल्यांकन हेतु प्रेषित करेंगे। शेष तीन प्रतियाँ क्रमशः परिसर-पुस्तकालय तथा मार्गनिर्देशक एवं छात्र को समर्पित की जायेगी।

62. शोधनिर्देशक शोधप्रबन्ध को प्रमाणित करते हुए यह उल्लेख करेंगे कि यह शोधप्रबन्ध शोधछात्र का मौलिक कार्य है और शोधार्थी ने नियमानुसार आवश्यक अवधि तक उसके निर्देशकत्व में शोध कार्य किया है।

63. शोधार्थी राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय) द्वारा निर्धारित आवश्यक शुल्क परिसर में जमा करेगा। साथ ही परिसर से सम्बन्धित विभागों (पुस्तकालय, संग्रहालय, क्रीडा, छात्रवास आदि) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर परिसर कार्यालय मे जमा करेगा।

64. मूल्यांकन के लिए चार शोध प्रबन्ध प्रेषित किए जायेंगे इस हेतु रु. 1225.00 का डिमांड ड्राफ्ट छात्र द्वारा **कुलपति, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली** के पक्ष में शोध प्रबन्ध के साथ देय होगा। इसके साथ

– छात्र का पूर्ण विवरण।

– प्राचार्य द्वारा सत्यापन एवं अग्रसारण प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

65. शोधप्रबन्ध के परीक्षा सम्बन्धी निर्देश के सम्बन्ध में प्रत्येक शोध-प्रबन्ध-परीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में अपनी संस्तुति के साथ निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित स्पष्ट टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए स्वतन्त्र रूप से भी प्रस्तुत करें : -

(क) शोधप्रबन्ध विद्यावारिधि उपाधि योग्य है।

(ख) शोधप्रबन्ध विद्यावारिधि उपाधि योग्य नहीं है।

(ग) शोधप्रबन्ध निर्देशित स्थलों/अध्यायों में/पूर्णरूप से संशोधन के योग्य है।

(घ) शोधप्रबन्ध विद्यावारिधि उपाधि योग्य है प्रकाशन के योग्य भी है।

(ङ) शोधप्रबन्ध विद्यावारिधि उपाधि योग्य है किन्तु प्रकाशन के योग्य नहीं है।

परीक्षक के लिए अनिवार्य है कि वह अपनी संस्तुति के आधारभूत कारणों का विवरण प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित करें।

66. विद्यावारिधि प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1. पूर्व उत्तीर्ण परीक्षाओं की उत्तीर्णता के विषय में विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र।
2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र (मैट्रिक या तत्समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र) जिसमें जन्म तिथि भी प्रमाणित की गई हो।
3. चरित्र प्रमाण पत्र (पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा)
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.)।
5. निष्क्रमण प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट)।

19 2.82

6. अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र।

आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ उपर्युक्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां अवश्य संलग्न करनी होगी। प्रवेश के समय मूल प्रमाण-पत्र मांगने पर दिखाना अनिवार्य होगा। अस्पष्ट एवं असत्यापित प्रमाण पत्रादि प्रवेशार्थ स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

67. सुरक्षित धनराशि (पुस्तकालय प्रतिभूति शुल्क)

(क) यदि प्रवेश प्राप्त छात्र संस्थान परिसर छोड़कर जाता है तो उसे सुरक्षित धनराशि के अतिरिक्त लिया गया कोई भी शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

(ख) उपर्युक्त धनराशि छात्र द्वारा नगद रूप में देय होगी । चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार नही किया जायेगा ।

(ग) सुरक्षित धनराशि विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त होने पर ही लौटायी जायेगी।

68. **आचार संहिता** : परिसर के सभी छात्र अनुशासन के समस्त नियमों का पालन करेंगे–

1. छात्र को आत्मानुशासन का पालन करना होगा और नियमित उपस्थिति रखनी होगी।
2. छात्रों को किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर उन्हें यथोचित दण्ड दिया जायेगा। छात्रों द्वारा अत्यन्त गम्भीर दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर/प्रमाणित होने पर अनुशासन समिति की अनुशंसा पर छात्र को संस्थान से निष्कासित किया जा सकेगा।
3. संस्थान के समस्त परिसर में मादक पदार्थों, धूम्रपान आदि का सेवन सर्वथा वर्जित है।
4. कोई छात्र यदि परिसर की सम्पत्ति का नुकसान करता है तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के योग्य माना जायेगा तथा नुकसान हुई सम्पत्ति की भरपाई के लिए वह जिम्मेदार होगा।
5. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिसर की गरिमा को बनाए रखेंगे।
6. परिसर में स्वयं या उनके द्वारा हिंसा फैलाने, शान्ति भंग करने, अपनी बात जर्बदस्ती मनवाने का प्रयास करने पर परिसर की अनुशंसा समिति उस छात्र को दण्डित कर सकती है।
7. अनुशासन समिति की अनुंशसा पर प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।
8. परिसर में कालांश के समय छात्रों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है।

69. रैगिंग निषेध अधिनियम : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग निषेध अधिनियम - 2009 के नियम-6.3 (क) दिनांक 17 जून 2009 के अनुसार परिसरों में रैगिंग दण्डनीय अपराध है।

रैगिंग में निम्नलिखित अपराध सम्मिलित हैं –

1. रैगिंग हेतु उकसाना।

2182

2. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र।

3. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना।

4. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना।

5. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना।

6. शरीर को चोट पहुँचाना।

7. गलत ढंग से रोकना।

8. आपराधिक बल प्रयोग।

9. प्रहार करना, यौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध।

10. बलात् ग्रहण।

11. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना।

12. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध।

13. आपराधिक धमकी ।

14. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना।

15. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना।

16. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना।

17. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध।

70. रैगिंग के अन्तर्गत आने वाले कार्य :

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे -

क) किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आने वाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।

ख) छात्र अथवा छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना, जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।

ग) किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।

घ) वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाएं।

ङ) नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।

च) नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।

छ) शारीरिक शोषण को कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट-जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।

ज) मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानित करना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।

झ) कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

71. संस्थाध्यक्ष द्वारा रैगिंग विरोधी की जाने वाली कार्यवाही - रैगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी व्यक्ति के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराएं अथवा रैगिंग से सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दें।

72. रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्यवाही - रैगिंग निषेध अधिनियम - 2009 के नियम 9.1 (ख) के अनुसार रैगिंग में संलिप्त छात्र/छात्रा के लिए दण्ड का प्रावधान है। किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा–

क. रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।

ख. रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में कोई एक अथवा अनेक दण्ड होंगे।

1. कक्षा में उपस्थिति होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन।
2. छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना।
3. किसी टेस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थिति होने से वंचित करना।
4. परीक्षाफल रोकना।
5. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
6. छात्रावास से निष्कासित करना।
7. प्रवेश रद्द करना।

8. संस्था से चार सत्रों तक के लिए निष्कासन करना।

9. रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके तो संस्थान सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।

ग. रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जा सकेगी–

1. किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान होने पर कुलपति से।

2. विश्वविद्यालय का आदेश होने पर कुलाधिपति से।

3. संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने पर उसके चेयरमेन अथवा चांसलर से अथवा स्थिति के अनुसार।

73. छात्रों को प्रदेय सुविधाएँ :

ग्रन्थालय सुविधा

ग्रन्थालय -नियम

1. संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्र पुस्तकालय में सुरक्षित धन जमा करवाकर पुस्तकालय के सदस्य बन सकते हैं।

2. विद्यार्थी को 15 दिनों के लिये पुस्तकें दी जाती हैं। यदि पुस्तक निर्धारित समय पर जमा नहीं की जायेगी तो प्रत्येक पुस्तक के लिए विलम्ब शुल्क देना होगा।

3. सन्दर्भ ग्रन्थ, दुर्लभ एवं बहुमूल्य पुस्तकें पुस्तकालय से निर्गत नहीं की जायेंगी।

4. पुस्तक खो जाने अथवा खराब हो जाने की स्थिति में पुस्तक लेने वाले को वैसी ही पुस्तक लाकर देनी होगी अथवा नियमानुसार उसका मूल्य चुकाना होगा। अत: पाठक को पुस्तकें भली-भाँति देखकर लेनी चाहिए।

5. पुस्तकों पर पेन, पेन्सिल आदि से लिखना या चिन्ह लगाना वर्जित है।

6. शोध प्रबन्ध जमा करने से पूर्व सभी पुस्तकें वापस करना अनिवार्य है, अन्यथा परिसर द्वारा शोध प्रबन्ध अग्रसारित नहीं किया जायेगा ।

7. प्रत्येक सदस्य छात्र को 3 पाठक पत्र (कार्ड) दिये जायेंगे जो अहस्तांतरणीय होंगे।

8. पुस्तकालय में शान्तिपूर्वक रहना अपेक्षित है।

9. पत्रिकायें पढ़कर यथास्थान रखना होगा। बिना स्वीकृति के किसी भी पुस्तक अथवा पत्रिका को पुस्तकालय से बाहर ले जाना वर्जित है।

10. पुस्तकालय के नियम भंग करने की स्थिति में पुस्तकालय के किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार संस्था प्रधान को होगा।

11. आवश्यक होने पर सदस्य से पुस्तकें समय से पूर्व भी वापस लौटायी जा सकेगी।

दिनांक 04.06.14 को सम्पन्न एकेडमिक कौंसिल की मद संख्या 12 के अनुसार केन्द्रीय शोध अध्ययन मण्डल एवं स्थानीय शोध अध्ययन समिति की संरचना निम्नलिखित है-

Rashtriya Sanskrit Sansthan
[Deemed University]
New Delhi- 110058

Terms of reference and composition of Central Board of Research Studies

General Information

Board	-	Central Board of Research Studies
Reporting to	-	Academic Council
Effective Date	-	Date of approval of Academic Council
Sub-Committee	-	Local committee on Research Studies at Campuses of Sansthan
Quorum	-	50% of the members + One (Chairman)

Terms of Reference

The Central Board of Research Studies, a committee of the Academic Council, promotes and supports the research and research training goals in Rashtriya Sanskrit Sansthan's strategic plan. It is a key machanism for developing the stragic and systems to ensure sustained excellence in research, research training and knowledge transfer.

- The powers, duties and function of the Central Board of Research Studies shall be-
- To formulate recommendations and policy for the strategic development of research and research training, in conjunction with other relevant committees of Rashtriya Sanskrit Sansthan.
- To monitor operational goals with in the context of Rashtriya Sanskrit Sansthan's Strategic plan;
- To monitor and enhace the quality of Rashtriya Sanskrit Sansthan's research proformance and research environment.
- To advise the Academic Council on:
  -National and International trends on the development of proformance indicators for research:
  - The appropriate use of funds allocated to research and research infrastructure:
  - Proposals for change in policy: and
  - To consider and recommend proposals for research studies recommended by local committee for acceptance by academic council.
  - Any other research related matters that may from time to time be referred to it.

- To provide a forum for high level discussion of strategic research issues and initiatives to transmit to the academic council a report consisting of the minutes of its meetings that involve recommendations.

Composition

Ex-officio	-	Vice-Chancellor	-	Chairman
		Registrar	-	Member
		I/c Research	-	Member Secretary
Appointed	-	Dean of each faculty	-	Member
		One Professor/Principal of Subjects of Research (Vedanta, Sankhyoga, Nyaya Vaishishak, Puranethihas, Vyakarana, Jyotish, Dharamshastra, Shiksha Shastra, Mimansa, Bauddhadarshan, Jaindarshan, Sahitya, Veda) to be considered by Board. (to be appointed Annually by VC)	-	Member
Nominated	-	Three representatives from the Sanskrit Universities		
		(incl. B.H.U.) by rotation	-	Member

Terms of reference and composition of Local-committee of the Campus

General Information

Board	-	Local-committee of Research Studies
Reporting to	-	Central Board of Research Studies
Effective Date	-	Date of approval of Acdemic Council
Quorum	-	50% of the Members + One

Terms of Reference of the local-committee

The local committee of research studies will be a committee at each campuses of sansthan for the Central Board of Research Studies, which promotes and supports the research and research traning goals in the campus-strategic-plan. It is a key machanism for developing the stragic and systems to ensure

19 2182

sustained excellence in research, research training and knowledge transfer particularly in context of campus concerned.

- The powers, duties and function of the Local-committee shall be-
- To formulate recommendations and policy for the strategic development of research and research training, in conjunction with other relevant committees of Rashtriya Sanskrit Sansthan.
- To monitor operational goals with in the context of Rashtriya Sanskrit Sansthan's Strategic plan;
- To monitor and enhance the quality of the campus – research proformance and research environment.
- To advise the Central Board fo Research Studies on:
  -National and International trends on the development of proformance indicators for research:
  - The appropriate use of funds allocated to research and research infrastructure:
  - Proposals for change in policy: and
  - To consider and recommend proposals for research studies recommended by supervisior for acceptance by Central Board of Research Studies.
  - Any other research related matters that may from time to time be referred to it.
- To provide a forum for high level discussion of strategic research issues and initiatives to transmit to the academic council a report consisting of the minutes of its meetings that involve recommendations.

Composition of Local-committee

Ex-officio	-	Principal	-	Chairman
		I/c Research	-	Member Secretary
Appointed	-	Head of each Department	-	Member
		Two local external scholars of University/Institute/ College to be invited by the Principal.	-	Member

(प्रो. शशि प्रभा कुमार)
अध्यक्ष

(प्रो. सर्वनारायण झा)
सदस्य /सचिव